न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 28/16 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2016/00031)

1. अशरफी देवी पत्नि रामप्रसाद (मृतक)
2. प्रेमसिंह पुत्र रामप्रसाद (मृतक)
2/1. मुन्नी वेवा प्रेमसिंह
2/2 सत्यवीर } पिसरान प्रेमसिंह
2/3 लोकेश
2/4 सवीता } पुत्रियां प्रेमसिंह
2/5 मन्जू
2/6 चंचल
2/7 निशा
3. ज्ञानसिंह } पिसरान रामप्रसाद
4. सीताराम
5. दीनदयाल
6. सुशीला } पुत्रियां रामप्रसाद
7. कमलेश

} जाति माली निवासी कस्बा बयाना हाल निवासी अनाह गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.............अपीलान्टस

बनाम

1. रामदयाल पुत्र गोपाल दास
1/1 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी मालवीय नगर जयपुर
1/2 नरेन्द्र पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी उदयपुर
1/3 सुशीला मित्तल पुत्री रामदयाल पत्नि श्री रामनाथ मित्तल जाति वैश्य निवासी भरतपुर
1/4 बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी व्याबर जिला अजमेर
1/5 सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी आर्य समाज रोड कस्बा बयाना तहसील बयाना
1/6 मिथलेश गुप्ता पुत्री रामदयाल पत्नि अरूण कुमार जाति वैश्य निवासी करौली जिला भरतपुर
2. महेन्द्र } पि0 गोपालदास जाति वैश्य निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर
3. अशोक कुमार
4. अनिल कुमार पुत्र देवीलाल जाति वैश्य निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर

.... रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 18.05.2016 अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 7/20/3

29.5.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह कुंतल वकील अपीलान्ट।
2. श्री हेमराज शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 29.04.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 11.02.2013 के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से रिब्यू किये जाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 के द्वारा पुनरावलोकन संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनकी ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करते हुए तहसीलदार बयाना को यह निर्देश दिये गये कि राजस्व अभिलेख में यदि मुकदमा नंबर 58/12 एल.आर.एक्ट उनवानी असरफी बनाम तहसीलदार आदेश दिनांक 11.02.2013 की पालना की जा चुकी हो तो उसे निरस्त कर निर्णय से पूर्व की स्थिति में रखा जावे। उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 11.02.2013 के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन व परीक्षण करने के बाद विस्तृत निर्णय दिनांक 11.02.2013 को पारित किया गया था। अदालत मातहत में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे रैस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं थे। इसके बाबजूद भी दिनांक 11.02.2013 के निर्णय को रिब्यू करवाये जाने के संबंध में रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका कि रैस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं था। अदालत मातहत में भी उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर एल.आर.एक्ट की धारा 86 में वर्णित रिब्यू के प्रावधानों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 के द्वारा स्वीकार किये जाने का आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका देने के बाद अलग से निर्णय पारित करना चाहिए था। इसके अलावा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र में यदि रिब्यू प्रार्थना पत्र पेशकर्ता पक्षकार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को रिब्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.टी. 2012 पार्ट (2) पेज 1119 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि रैस्पोडेन्टस के एल.आर. एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं होने के बाबजूद भी रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिब्यू प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्ध स्वीकार कर अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अन्तिम निर्णय दिया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी बयाना ने एल.आर.एक्ट की धारा 86 में वर्णित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन नहीं किया, क्योंकि रिब्यू प्रार्थना पत्र का क्षेत्र काफी सीमित होता है। रिब्यू संबंधी प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में से अगर कोई दस्तावेज विचार करने से रह जाता है तो ही ऐसे दस्तावेज पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई प्रकरण गलत आधार पर भी निर्णित हो गया हो तो भी रिब्यू के प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व में पारित निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा आर.आर.डी. 1990 पेज 481 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार रिब्यू प्रार्थना पत्र में किसी तरह का कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लिया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 419 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया, परन्तु अदालत मातहत द्वारा पत्रावली संख्या 58/12 में उपलब्ध साक्ष्यों से परे जाकर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नये दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। रिब्यू के प्रार्थना पत्र के आधार पर अनुतोष रेयर आफ रेयरेस्ट केस में ही दिया जाना चाहिए। इस तरह का सिद्धान्त आर.आर.डी. 1994 पेज 33 में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार रिब्यू के प्रार्थना पत्र को नये सिरे से वाद या प्रार्थना पत्र नहीं माना जा सकता है, वरन् रिब्यू के प्रार्थना पत्र में सीमित बिन्दुओं को देखा जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.टी 2016 पेज 11 व पेज 367 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। अदालत मातहत ने विवादित भूमि रूपान्तरित होने व आबादी में दर्ज होने के कारण इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया है, परन्तु अदालत मातहत ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर नहीं किया कि भूमि के नक्शे की दुरूस्ती भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ही की जा सकती है। सिविल न्यायालय द्वारा राजस्व नक्शों को दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में आर.

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आर.टी 2012 पेज 1431 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली संख्या 58/12 उनवान अशरफी देवी बनाम तहसीलदार में पेश किये गये गत नक्शों पर भी गौर नहीं किया, क्योंकि गत नक्शों की माप के मुताबिक उत्तर दिशा में 26 गठ्ठा व दक्षिण दिशा में 26 गठ्ठा तथा उसी प्रकार पूर्व–पश्चिम दिशा की भुजाएं 3–3 गठ्ठा थी, परन्तु हाल नक्शे में बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर मौके के विपरित उत्तर दिशा की भुजा को 26 गठ्ठा के स्थान पर 17 गठ्ठा, दक्षिण दिशा की भुजा को 26 के स्थान पर 15 गठ्ठा कर दिया, जो कि क्रमशः 9 व 11 गठ्ठा कम की गई। इसी प्रकार पूर्व दिशा की भुजा 3 गठ्ठा के स्थान पर 5 गठ्ठा जो कि क्रमशः 2–2 गठ्ठा बढ़ा दी गई। जबकि मौके पर गत नक्शे के अनुसार ही भुजाओं की लंबाई मौजूद है। उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2013 तथ्यों व रिकार्ड पर आधारित होने के बाबजूद भी उक्त निर्णय को नियम विरूद्ध रिब्यू कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश प्रोपक्ष रूप से करते हुये मुकदमे का अन्तिम निस्तारण किया गया है। इसलिए अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। तहत अदालत द्वारा रिब्यू के प्रार्थना पत्र में धारा 144 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित करने का उल्लेख किया गया है, जो कि अदालत तहत की दुर्भावाना को दर्शाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2013 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि नगर पालिका बयाना की खातेदारी में स्थित है तथा उक्त भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। विवादित भूमि पर नगर पालिका की ओर से सड़क बना दी गई है। इसके पास रैस्पोडेन्ट की खातेदारी का खसरा नंबर 2126 की भूमि है। इस पर रैस्पोडेन्ट की दुकाने बनी हुई है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो नगर पालिका को पक्षकार बनाया गया और न ही रैस्पोडेन्ट को ही पक्षकार बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी ने भी बिना मौके देखे केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा मौके पर गये बिना दी गई रिपोर्ट को आधार मानकर बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया था। जिसके संबंध में रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में नियमों के तहत रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे पूर्ण परीक्षण करने के बाद अदालत मातहत ने गुणावगुण के आधार पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णित किया है। विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में भी प्रकरण चला था। जिसमें विवादित भूमि में रास्ता बने होने के कारण अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा पाबन्द किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी की ओर से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये निर्णय दिनांक 11.02.2013 के आधार पर रैस्पोडेन्ट की दुकानों में जाने का रास्ता बंद होने के कारण उक्त निर्णय से रैस्पोडेन्ट के प्रभावित होने के आधार पर रैस्पोडेन्टस द्वारा अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 86 के तहत नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पूर्ण परीक्षण करने के बाद उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि एल.आर.एक्ट की धारा 86(2) में प्रत्येक राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारियों द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञाएं दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी को धारा 86(2) के तहत पूर्व में पारित आदेश में पुनरावलोकन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त प्रकरण में भी रैस्पोडेन्ट हितबद्ध पक्षकार होने के कारण रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में नियमानुसार आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित भूमि के आबादी में होने के आधार पर उक्त भूमि की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय में होने का अभिमत भी सही दिया है, क्योंकि विवादित भूमि के संबंध में एल.आर.एक्ट की धारा 90 बी के तहत कार्यवाही होकर उक्त भूमि नगर पालिका की खातेदारी में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज हो चुकी है। उपखण्ड अधिकारी बयाना ने इसी आधार पर पूर्व में पारित किये गये निर्णय को प्रत्याहारित कर पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने का आदेश दिया है, जो कि पूर्णतः नियमानुसार है।

वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि आबादी भूमि के संबंध में एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती, वरन् उक्त प्रावधान के तहत कृषि भूमि के बारे में ही कार्यवाही की जा सकती है। विवादित भूमि में रैस्पोडेन्टस के हितबद्ध पक्षकार होने के कारण रिब्यू का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस तरह के प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार द्वारा पेश किये गये रिब्यू प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित किये गये निर्णय को उचित माना गया है। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 2001–2002 आर.आर.टी पेज 1205 पर उद्धरित निर्णय का हवाला दिया। इसके अलावा अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए आदेश को किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के आबादी में होने तथा नगर पालिका की खातेदारी में होने के तथ्य को छिपाया गया। तथ्यों के दुर्व्यप्रदर्शन के आधार पर प्राप्त किये गये आदेश को उचित नहीं माना गया है। इस तर्क के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 1977 आर.आर.डी पेज 231 व 217 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया है। इसके अलावा आर.एल.डब्ल्यू 1957 पेज 93 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि पर्याप्त व उचित कारण होने पर रिब्यू के प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त साक्ष्य पर भी विचारा किया जा सकता है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि आबादी में होने व नगर पालिका की खातेदारी में होने के कारण एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत आबादी भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही को निरस्त किया गया है, जो कि उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित भूमि नगर पालिका की खातेदारी में अवाप्ती से आई है। अवाप्त की गई भूमि में जब तक आबादी नहीं बसती है तब तक ऐसी भूमि के संबंध में निर्णय करने का अधिकार राजस्व अदालत को ही प्राप्त है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 से रैस्पोडेन्ट या नगर पालिका अपने आप को व्यथित मानते हैं तो इसके लिए अपील में जा सकते थे, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये रिब्यू संबंधी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा नियमों के विपरित जाकर स्वीकार किया गया है। जिस समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 11.02.2013 को पारित किया गया। उस समय तक अपीलाधीन भूमि न तो आबादी में दर्ज थी और न ही नगर पालिका की खातेदारी में ही थी। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिब्यू संबंधी प्रार्थना पत्र को अपील मानकर उनकी ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 को निरस्त किये जाने तथा सीपीसी की धारा 144 का उल्लेख करते हुए तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि निर्णय दिनांक 11.02.2013 की पालना हो गई है तो उन्हें भी निरस्त किया जावे। अर्थात् उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र में एल.आर.एक्ट की धारा 86, 136 व सीपीसी की धारा 144 के तहत 3 आदेश पारित किये हैं, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 निरस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत तहसीलदार बयाना को पक्षकार बनाते हुये उपखण्ड अधिकारी बयाना के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2013 जिसे तहसीलदार द्वारा बाद प्रति हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी बयाना को भिजवाया गया, के आधार पर अपीलान्ट की ओर से एल.आर. एक्ट की धारा 136 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया कि साविक खसरा नंबर 1099 रकबा 4 बिस्वा जिसका नवीन खसरा नंबर 2127 रकबा 0.03 है0 वाकै कस्बा बयाना बनाया गया है, के नक्शा साविक के अनुसार सीमाओं की माप में नक्शा किश्तवार में नाप कायम कराई जाकर नंबर सैटलमेंट के दौरान बनाये गये नक्शे में दुरूस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 11.02.13 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्टस को पक्षकार बनाते हुए एल. आर.एक्ट की धारा 86 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें रैस्पोडेन्ट की ओर से अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 फास्ट ट्रेक भरतपुर कैम्प बयाना द्वारा प्रकरण संख्या 24/2009 में दिनांक 29.05.2009 को हुए निर्णय में यह निर्णय होने का उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 2126 के उत्तर दिशा में जो नया खसरा नंबर 2127 है, उसे काफी वर्षों से आवागमन के काम में लिया जाता रहा है तथा खसरा संख्या 2127 में पुख्ता सड़क का निर्माण हो चुका है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने व सुने नहीं जाने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने के आधार पर रिब्यू किये जाने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 2126 के उत्तरी व पश्चिमी पूरे हिस्से में 30 फीट चौड़ाई आवासीय उपयोग हेतु दिनांक 13.02.1992 को भूमि रूपान्तरित करवाये जाने तथा पश्चिमी उत्तरी भाग में बद्री प्रसाद वैध की 30x30 फीट में दुकानें कई वर्षों पूर्व बनने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 11.02.2013 में उनके खसरा संख्या 2126 के उत्तरी भाग में खसरा संख्या 2127 को दर्शाया गया है, जबकि खसरा संख्या 2127 में उनके खसरा संख्या 2126 के उत्तर दिशा में सड़क आम काफी वर्षों पूर्व बनने, खसरा संख्या 2126 व 2127 की धारा 90 बी पूर्व में ही होने का उल्लेख किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत ने रिब्यू प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से की गई बहस का उल्लेख करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 को पारित किया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 58/12 धारा 136 एल.आर.एक्ट उनवानी अशरफी बनाम रामदयाल निर्णय दिनांक 11.02.2013 में प्रार्थीगण द्वारा केवल तहसीलदार बयाना को पक्षकार मुकदमा बनाया है। आराजी खसरा नंबर 2127 गैर मुमकिन आबादी नगर पालिका के खाते में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में नगर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पालिका व विवादित आराजी से लगे आराजीयात के खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में निर्णित प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भरतपुर (फार्स्ट ट्रेक) कैम्प बयाना ने निर्णित मुकदमा नंबर 24/09 रामदयाल बनाम रामप्रसाद निर्णय दिनांक 29.05.2009 का भी अपने प्रार्थना पत्र में कहीं उल्लेख नहीं किया है और न ही तहसीलदार बयाना द्वारा ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.01.2013 में उल्लेख किया है। चूंकि विवादित आराजी का 90 बी होकर राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड हो चुकी है। विवादित आराजी गैर मुमकिन आराजी नगर पालिका की खातेदारी में दर्ज होने पर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर दीवानी न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा पेश किया जाना चाहिए। न्यायालय हाजा से मुकदमा नंबर 58/12 उनवानी अशरफी बनाम तहसीलदार बयाना धारा 136 एल.आर.एक्ट में जारी आदेश दिनांक 11.02.2013 जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया था, को प्रत्याहारित किया जाना उचित समझते हुए रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत रिब्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश में तहसीलदार बयाना को यह भी निर्देश दिये दिये गये हैं कि यदि मुकदमा नंबर 58/12 एल.आर.एक्ट उनवानी अशरफी बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 की पालना की जा चुकी है तो उसे निरस्त कर निर्णय से पूर्व की स्थिति को रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 18.05.2016 एल.आर.एक्ट की धारा 86 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप होने के कारण अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 86 में मण्डल तथा अन्य न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन का प्रावधान किया हुआ है। इस धारा की उपधारा 2 के अनुसार "प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पूर्व पद के पूर्वाधिकारियों द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे,"

परन्तु यह शर्त है कि :–

(i) कोई भी आज्ञा उस समय तक परिवर्तित की या उलटी नहीं जाएगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने का नोटिस नहीं दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के समर्थन में उनकी सुनवाई न कर ली गई हो।

(ii) किसी भी आदेश का जिसकी अपील की गई हो या जो पुनरीक्षण कार्यवाही का विषय है, पुनरावलोकन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही विचाराधीन हो।

(iii) प्राईवेट व्यक्तियों के बीच में किसी अधिकार के प्रश्न को प्रभावित करने वाली किसी आज्ञा का पुनरावलोकन, सिवाय कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र दिये के, नहीं किया जाएगा तथा ऐसा आदेश का पुनरावलोकन करने के

28.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक कि वह ऐसा आदेश होने के 90 दिन के भीतर नहीं दिया गया हो।

उपरोक्त प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय दिनांक 11.02.2013 को पारित किया गया है। इस निर्णय को रिब्यू किये जाने हेतु रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 86 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2013 को पेश किया गया, जो कि 90 दिवस की अवधि में पेश किया गया। इसी प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। धारा 86(2)(i) में वर्णित प्रावधान के अनुसार हित रखने वाले पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पूर्व में जारी की गई आज्ञा को परिवर्तित या उलटी किये जा सकने का अधिकार दिया हुआ है। अपीलाधीन निर्णय में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 को प्रत्याहारित किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है। जिसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि विवादित भूमि जिसके संबंध में अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 135 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उसमें न तो नगर पालिका को पक्षकार बनाया गया और न ही अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक भरतपुर मुख्यालय बयाना की ओर से पारित निर्णय दिनांक 29.05.2009 के बारे में भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख किया गया। जबकि अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय विवादित भूमि नगर पालिका बयाना की खातेदारी में दर्ज होने के साथ–साथ गैर मुमकिन आबादी में दर्ज थी। तथ्यों को छिपा कर प्राप्त किये गये आदेश को उचित नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर